

जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट-100 , दिनांक 25.09.2019

दिनांक 25.09.2019 को थाना आटा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को अवैध असलाह एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- ध्रुवराम पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम कहटा थाना आटा जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण –

1 – 01 अदद बंदूक 12 बोर।

2 – 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

3 - 01 अदद कारतूस बेल्ट।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –

अभियुक्त को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र आटा के इटौरा कहटा रोड से कुड़या झार डेरा को जाने वाले कच्चे रास्ते पर लगभग 50 मीटर दूरी से दिनांक 24.09.2019 को समय 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ० सतीश कुमार महोदय के निर्देशन में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधियों, शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० अवधेश सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कालपी श्री संजय कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक आटा मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे।

प्रभारी निरीक्षक थाना आटा मय हमराह फोर्स थाना आटा क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान अवैध बंदूक व कारतूसों के साथ उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

इस सम्बन्ध में थाना आटा पर मु०अ०स० 190/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त ध्रुवराम उपरोक्त

1. मु०अ०स० 155/03 धारा 70 खनन अधिनियम व 379/411 भादवि आटा जनपद जालौन।
2. मु०अ०स० 156/12 धारा 70 खनन अधिनियम व 379/411 भादवि आटा जनपद जालौन।
3. मु०अ०स० 441/12 3 युपी० गुन्डा एक्ट आटा जनपद जालौन।
4. मु०अ०स० 271/13 धारा 110 जी एक्ट थाना आटा जनपद जालौन।
5. मु०अ०स० 190/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1 – प्र०नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना आटा जनपद जालौन।
- 2 – उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह थाना आटा जनपद जालौन।
- 3 - का० 05 प्रबल कुमार थाना आटा जनपद जालौन।
- 4 – का० 1692 महावीर थाना आटा जनपद जालौन।